न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :— हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 87 / 2015

1 अमरजीत कौर पत्नी जसकौर सिंह जाति जट सिख निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 गमदूर सिंह पुत्र जसकौर सिंह जाति जट सिख निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

1 सुखवीर सिंह पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 विनोद कुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 दुलीचन्द पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 साहबराम पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 रामकुमार पुत्र मनोहरलाल जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

6 शंकरलाल पुत्र रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

7 कृष्णा पुत्री केसराराम जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

8 मुलचन्द पुत्र केसराराम जाति कुम्हार निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

9 नंद कौर जोजा जसवन्त कौर जाति बावरी निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

10 तेज सिंह पुत्र जयमल सिंह जाति मजहबी निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

11 राजा सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

12 भोला सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

13 गजन सिंह पुत्र बचन सिंह जाति मजहबी निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

14 हरमेल सिंह पुत्र बचन सिंह जाति मजहबी निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

15 पाल सिंह पुत्र बचन सिंह जाति मजहबी निवासी बहरामपूरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :—

1 श्री रेशम सिंह अधिवक्ता (प्रार्थीगण)

2 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 8

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक : 5.12.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 32 ए एम पी खाता संख्या 4/2 मु.न. 7 कि.न. 18, मु.न. 22 कि.न. 9, 10, 11, 13 मु.न. 23 कि.न. 3, 4,6,7,8,9,12ता 15, 18, 19 कुल 4.301 है. रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. के नाम 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 के नाम 3/4 हिस्सा रिकॉर्ड में खातेदारी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के नाम से चक 32 ए एम पी खाता संख्या 34/34 मु.न. 22 कि.न. 19 ता 22 मु.न. 23 कि.न. 16,17,23,24,25, मु.न .40 कि.न .3,4,5,6,7,8 कुल 3.795 है. आराजी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 9 के नाम से इसी चक मे खाता संख्या 26/23 मु.न. 23 कि.न. 11, 19 ता 22 मु.न .40 कि.न .1, 9/1 में 0.177 है., कि.न .10/1 में 0.127 है. कि.न. 12 सालम कुल 1.822 है. आराजी रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 के नाम मे इसी चक के खाता संख्या 24/21 मु.न 40 कि.न. 2, 9/2, में 0.076 कि.न. 10/2 में 0.126 है., कि.न. 11, 19 ता 22 सालम कुल 1.720 है. रिकॉर्ड में खातेदारी है। मु.न. 40 कि.न. 1 ता 5 तक पिछले 40 वर्षो से रास्ता चल रहा है लेकिन रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीगण की आराजी मु.न .23, 22 में पडती है, प्रार्थीगण को खेत मे जाने के लिये ओर कोई रास्ता नही है, प्रार्थीगण मु.न. 40 कि.न. 1, 2, 3 मु.न .23 कि.न. 23, में 24 के साथ चिपता एक गठा रास्ता मंजूर करवाना चाहता है, कि.न. 23 के एक गठा रास्ता के बदले में उनकी आराजी के बदले आराजी चिपती हुयी या डी एल सी दर का दुगनी राशि देने के लिये तैयार है, मु.न. 23 कि.न. 23 अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 10.07.2015 को बमुकाम बहरामपूरा बोदला में बिरादरी की पंचायत में कहा पिछले 40 वर्षो से चल रहे रासता मु.न .40 कि.न. 1,2,3 व मु.न. 23 के कि.न. 23 में 24 के साथ चिपता एक गठा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में सहमति के आधार पर अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया कि हम तो मौका पर चल रहे उक्त रास्ता को बंद कर देगें एव तुम्हे खेत में प्रवेश नही होने देगें बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण को चक 32 ए एम पी खाता संख्या 4/2 के मु.न. 23, 22 में अपने रकबा में आने के लिये मु.न. 40 कि.न. 1, 2, 3 व मु.न. 23 के कि.न. 23 में 24 के साथ चिपता एक गठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाए जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 ने जरिये वकील मु.न. 40 कि.न. 1 ता 5 में सरकारी खाल चल रहा है, जो 2–2 बिस्वां अर्थात 16½–16½ फुट है। मु.न. 40 का कि.न. 1, 2 अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 के कब्जा काश्त में है, प्रार्थीगण मु.न .40 के कि.न. 1, 2 से होकर मु. न. 23 के कि.न. 22 में दक्षिणी पूर्वी कोने पर पुलिया भी बनी हुयी है मु.न. 23 का कि. न. 22 अप्रार्थी संख्या 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। पुलिया की एवं मौके पर रास्ता चलने की फोटो संलग्न है। चूंकि न तो मु.न. 40 कि.न. 3 व मु.न. 23 के कि.न. 23 में कोई रास्ता चल रहा है और न ही प्रार्थीगण कभी अप्रार्थीगण से मिले इसलिये प्रार्थीगण को कोई बिनाए प्रार्थना हासिल नही है। लिहाजा जवाब प्रार्थी पत्र अ. धारा 251 ए आर.टी.ए. मय शपथ पत्र हल्फनामा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 9 ता 15 के विरूद्व एक

Scanned by CamScanner

पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी, रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पंक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कथनों का विरोध किया एव प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की मांग मु.न. 40 के कि.न. 1 ता 3 व मु.न 23 के कि.न. 23 में से रास्ता की है जबकि अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीगण मु.न. 40 के कि.न.1, 2 व मु.न. 23 के कि.न. 22 में से होकर आ जा रहे है, जो कि मु.न. 23 के कि.न. 19 व 18 प्रार्थीगण के ही है एव प्रार्थीगण के दोनों किले मु.न. 23 के कि.न. 22 व 23 से लगते है एव अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण मु. न. 40 के कि.न. 2 में से ही आते जाते है एव कि.न. 3 व कि.न. 23 में से कभी भी नही गये है जिस सम्बध में अप्रार्थीगण ने रास्ता चलने के सम्बध में फोटो भी पेश की है जिससे साबित है कि प्रार्थीगण मु.न. 40 के कि.न. 3 व मु.न. 23 के कि.न. 23 मे से नही आते जाते है ,मु.न.40 के कि.न. 1 ता 5 स्वीकृतशुदा पक्का खाला चल रहा है एव प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी के लिये रास्ता उपलब्ध होने एव चलने के सम्बध में अप्रार्थीगण ने फोटो पेश की है, जो ना चलता हो इस सम्बध में प्रार्थीगण ने कोई सबूत पेश नही किये है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हक हिस्सा की आराजी आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है एव प्रार्थीगण ने सुविधा के विकल्प की दृष्टि से नया रास्ता चाहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उक्त विवेचन के आधार स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:54:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: